मुद
०/

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
34/2015	8.7.2015	2-1-2026

शांति देवी पत्नि गोरधन, जाति गुर्जर निवासी बिचपुरी ढाणी रघुनाथपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर वादिया

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र कजोड्या,
2. रमेश पुत्र कजोड्या,
3. गोविंदा पुत्र कजोड्या,
4. कुंजी पत्नि कजोड्या
5. श्रीराम पुत्र मंगड्या,
6. रामखिलाड़ी पुत्र मंगड्या,
7. सुरज्ञान पुत्र मंगड्या,
8. धनराज पुत्र मंगड्या,
9. मूड़ी पत्नि मंगड्या (नाम हजफ, आदेश दिनांक 27.10.2015)
10. हुकम पुत्र कजोड्या,
11. रामभजन पुत्र सुआ,

सभी जाति गुर्जर, निवासी बिचपुरी ढाणी रूण्डी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

12. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, बामनवास,
13. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, रिवाली
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जरिये शाखा प्रबन्धक, सुकार
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

निषेधाज्ञा

निर्णय

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादिया द्वारा कथन किया गया है कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 23 रकवा 0.28 है., 24 रकवा 0.41 है. कुल किता 2 कुल रकवा 0. 69 है. स्थित ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बामनवास वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी 5 ता 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं. 2068 से 2071 में दर्ज है । इस प्रकार वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 उक्त भूमियों के सहखातेदार टीनैण्ट हैं । वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हिस्सों की भूमियों का बाह्मी तौर पर विभाजन हो रहा है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्सों के अनुसार काश्त कर रहे हैं, परन्तु पक्षकारों के हिस्से में आई भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है तथा पक्षकारान का लगान भी अविभाजित है । वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 मुताबिक बाह्मी बंटवारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के दिमाग में फितूर आ गया है और वे येन केन प्रकारेण वादिया को हैरान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: Self Attested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

परेशान करने पर आमादा हो रहे हैं । आगे कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बहुत ही चालाक व मुतमर्द किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि वादिया को आये दिन लगान अदायगी में तथा मुताबिक बाहमी बंटवारे वादिया के 1/2 हिस्से में आई भूमि के कब्जे कास्त एवं फसल के उपयोग व उपभोग में व्यवधान पैदा करते रहते हैं तथा उक्त आराजियात् को बिना विभाजन कराये बेचान करने की धमकी देते हैं । दिनांक 2.6.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने वादिया को स्पष्ट धमकी दी है कि वे वादिया के हिस्से की भूमि पर वादिया को कास्त नहीं करने देंगें तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार वादिया के हिस्से में आई भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बिना विभाजन कराये बेचान कर देंगें तथा जिसके लिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात भी कर ली है । भूमि को बिना विधिवत् विभाजित कराये प्रतिवादीगण को उसके विकय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेगें, जब तक कि उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं कर दिया जावेगा, उक्त कारण से अब वादिया का प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के साथ अपना खाता संयुक्त रूप से रखना संभव नहीं है, वादिया अब प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित खाता रखना नहीं चाहती है और वादिया अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी पृथक से अपने नाम करवाना चाहती है, इसलिए वादिया को यह दावा बावत भूमि विभाजन पेश करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

आवश्यक हुआ । उक्त आधार पर वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद पत्र पेश कर उसे डिक्री किए जाने व प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद किए जाने का अनुरोध किया है कि आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 है., 24 रकबा 0.41 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है. स्थित ग्राम रघुनाथपुरा का बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादिया के 1/2 हिस्से की भूमि का अलग से खाता कायम किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में अंकन किया जावे व वादिया का लगान भी अलग से कायम किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 है., 24 रकबा 0.41 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है. स्थित ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बामनवास में वादिया के 1/2 हिस्से में आई भूमि के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त में वादिया को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा उक्त समस्त आराजियात् का विधिवत् विभाजन कराये बिना उसे किसी भी प्रकार से किसी को हस्तांतरित व रहन वय नहीं करें, रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को उक्त वाद के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एवं प्रतिवादी संख्या 12, 14 व 15 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०).

ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जवाब दिया जाकर कथन किया गया है कि विवादित भूमि बैंक के यहां रहन है और बैंक का ऋण जमा कराये बिना विवादित भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता, उक्त आधार पर उसके द्वारा वादिया का वाद पत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 17.12.2021 को वकील वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का अनुरोध किया गया, जिस पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बामनवास से बंटवारा स्कीम तलब करने के आदेश पारित किए गए, जिसकी पालना में तहसीलदार बामनवास द्वारा दिनांक 8.10.2025 को बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर न्यायालय में पेश की गई । बंटवारा स्कीम पर बहस अंतिम सुनी गई । बहस के अनुसार वादिया के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार, बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं की गई तथा विभाजन स्कीम के अनुसार वाद पत्र डिक्री किए जाने का अनुरोध किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व वादिया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा

अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित किए गए कथनों की ही पुनःरावृत्ति की गई है । वकील वादिया की बहस व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् वादिया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादिया का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील बामनवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 24 रकबा 0.41 हेक्टेयर (कुल किता 2, कुल रकबा 0.69 हेक्टेयर) में से खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 हैक्टेयर संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 24 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से 0.0650 हैक्टेयर (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के अनुसार) का वादिया को तथा खसरा नम्बर 24 रकबा 0.41 हेक्टेयर में से 0.3450 हैक्टेयर भूमि का कुंजी पत्नी कजोड्या को 2/15 हिस्से का, गोविंदा पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, धनराज पुत्र मंगल्या को 1/24 हिस्से का, नवल किशोर पुत्र रामखिलाड़ी को 1/48 हिस्से का, रकम बाई पुत्री रामखिलाड़ी को 1/48 हिस्से का, रमेश पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, रामभजन पुत्र [illegible] हिस्से का, श्रीराम पुत्र मंगल्या को 1/24 हिस्से का, [illegible] को 1/24 हिस्से का, हुकम पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, हरिप्रसाद पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत

(हस्ताक्षर)
उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिक्री के भाग रहेंगें, प्रतिवादी संख्या 12, 13 व 14 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस पक्षकार द्वारा अपना जितना हिस्सा किसी बैंक के पक्ष में रहन रखा हुआ है, उतना ही हिस्सा सम्बन्धित बैंक के पक्ष में विभाजन में निर्धारित स्कीम के अनुसार विभाजित हिस्से पर रहन रखा हुआ माना जायेगा । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 2-1-26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

शांति देवी पत्नि गोरधन, जाति गुर्जर निवासी बिचपुरी ढाणी रघुनाथपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर वादिया

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र कजोड़्या,
2. रमेश पुत्र कजोड़्या,
3. गोविंदा पुत्र कजोड़्या,
4. कुंजी पत्नि कजोड़्या
5. श्रीराम पुत्र मंगड़्या,
6. रामखिलाड़ी पुत्र मंगड़्या,
7. सुरज्ञान पुत्र मंगड़्या,
8. धनराज पुत्र मंगड़्या,
9. मूड़ी पत्नि मंगड़्या (नाम हजफ, आदेश दिनांक 27.10.2015)
10. हुकम पुत्र कजोड़्या,
11. रामभजन पुत्र सुआ,

सभी जाति गुर्जर, निवासी बिचपुरी ढाणी रूण्डी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

12. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, बामनवास,
13. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, रिवाली
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जरिये शाखा प्रबन्धक, सुकार
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026-04-08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्व वाद संख्या 34/2015

वादिया स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11, 12, 14 व 15 की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री आलोक गोयल एडवोकेट उपस्थित । आज दिनांक 2026 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील बामनवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 24 रकबा 0.41 हेक्टेयर (कुल किता 2, कुल रकबा 0.69 हेक्टेयर) में से खसरा नम्बर 23 रकबा 0.28 हैक्टेयर संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 24 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से 0.0650 हैक्टेयर (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के अनुसार) का वादिया को तथा खसरा नम्बर 24 रकबा 0.41 हेक्टेयर में से 0.3450 हैक्टेयर भूमि का कुंजी पत्नी कजोड्या को 2/15 हिस्से का, गोविंदा पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, धनराज पुत्र मंगल्या को 1/24 हिस्से का, नवल किशोर पुत्र रामखिलाड़ी को 1/48 हिस्से का, रकम बाई पुत्री रामखिलाड़ी को 1/48 हिस्से का, रमेश पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, रामभजन पुत्र सुआ को 1/6 हिस्से का, श्रीराम पुत्र मंगल्या को 1/24 हिस्से का, सुरज्ञान पुत्र मंगल्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

को 1/24 हिस्से का, हुक्म पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का, हरिप्रसाद पुत्र कजोड्या को 2/15 हिस्से का (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिक्री के भाग रहेंगें, प्रतिवादी संख्या 12, 13 व 14 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस पक्षकार द्वारा अपना जितना हिस्सा किसी बैंक के पक्ष में रहन रखा हुआ है, उतना ही हिस्सा सम्बन्धित बैंक के पक्ष में विभाजन में निर्धारित स्कीम के अनुसार विभाजित हिस्से पर रहन रखा हुआ माना जायेगा ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 2-1-2026 को जारी की गई ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प [illegible]दावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा [illegible]	
बाबत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested